फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सत्यनारायण बनाम शिवलाल(बैरवा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 63 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
3.1.3.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
12.5.23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भगवानपुरा मे पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **हुकमीचन्द रोहलानिया** **उपखण्ड अधिकारी माण्डल** **प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 63/23 प्रा०पत्र

1– सत्यनारायण s/o लक्ष्मीलाल ब्राह्मण निवासी: भगवानपुरा तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री शिवलाल s/o धीसू कुमार निवासी-भगवानपुरा तहसील- माण्डल

2. श्री लादुलाल s/o सोहनलाल शर्मा निवासी- भगवानपुरा तहसील-माण्डल

3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मा० माण्डल तहसील माण्डल –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

[redacted]

दिनांकः– 12.5.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 4107 कुल किता 01 रकबा 1.2393 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराज़ी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.03.23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

[redacted]

::आदेश::

प्रार्थी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 4107 कुल किता 01 रकबा 1.2393 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:39 IST
Reason: SelfAttested

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023